

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग

Most Urgent/Today

क्रमांक: प015(2)साप्र/5/2014

जयपुर, दिनांक: 20-8-14

समस्त प्रबन्धक,
विश्राम भवन, राजस्थान/
ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर।

प्रबन्धक,
राजस्थान हाउस/जोधपुर हाउस/
राज.स्टेट गेस्ट हाउस, नई दिल्ली।

प्रबन्धक,
राज0 भवन, वाशी,
नवी मुम्बई।

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 25 के अन्तर्गत वर्ष
2013-14 की सूचना उपलब्ध कराने के क्रम में।
संदर्भ:- इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 27.06.2014 एवं 17.07.2014

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के द्वारा आप से सूचना चाही गई थी। इस निमित्त बार-बार स्मरण पत्र भेजने के उपरान्त भी आप द्वारा वांछित सूचना आदिनांक तक नहीं भिजवायी है। इससे राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर को संकलित सूचना भिजवाया जाना संभव नहीं हो रहा है जो कि गम्भीर स्थिति स्पष्ट करती है।

अतः पुनः निर्देशानुसार लेख है कि आपके कार्यालय में प्राप्त सूचना के अधिकार से संबन्धित आवेदन पत्रों बाबत सूचना निम्न प्रपत्र में तीन दिवस में अनिवार्य रूप से भिजवावे:-

प्रारूप-1

सूचना का अधिकार एक्ट के तहत निस्तारित

लोक सूचना अधिकारी,विभागसमयावधि वर्ष 2013-14

प्राप्त आवेदन (संख्या)			सूचना दी गई (संख्या)		अस्वीकृत	लम्बित	प्राप्त राशि (रुपयों में)
कुल	जिला मुख्यालय पर	अन्य	समयावधि में	समयावधि पश्चात्			
1	2	3	4	5	6	7	8

नोट:- कॉलम 1=2+3 एवं कॉलम 4+5+6+7=1

भवदीय

(राजीव जैन)

संयुक्त शासन सचिव